भारत में जीएसटी : भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव

डॉ. राजेश कुमार शुक्ला
सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य)
सी.एम.दुबे पी.जी. महाविद्यालय
बिलासपुर, (छत्तीसगढ़)

सारांश

भारत ने देश के आर्थिक विस्तार में सहायता और बढ़ावा देने के लिए वस्तु एवं सेवा कर, एक अप्रत्यक्ष कर लागू किया है। वस्तु एवं सेवा कर विधेयक अधिकांश विकसित देशों में अधिनियमित किया गया है। भारत में जीएसटी का मॉडल तैयार करने के लिए 1999 में एक समिति गठित की गई थी। लेकिन भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लॉन्च किया गया। संघीय और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए सभी विभिन्न करों को जीएसटी के साथ बदल दिया गया। जीएसटी कर को एक वाक्यांश दिया गया जिसमें एक राष्ट्र, एक कर इस तथ्य को संदर्भित करता है कि सभी करों का भुगतान देश भर में एक ही स्थान पर किया जाना चाहिए। सरकार ने देश में सभी पर कर लगाने और अवैध धन के प्रवाह को रोकने के लिए जीएसटी लागू किया। हालाँकि, यह नोट किया गया कि कई भारतीय निवासियों की भावनाएँ परस्पर विरोधी थीं। इसलिए, संरचना की समीक्षा करने और चल रहे विकास पर ध्यान केंद्रित रखने की सलाह दी जाती है।

मुख्य शब्द :– कर, अप्रत्यक्ष कर, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), कराधान सुधार, भारतीय कराधान प्रणाली।

प्रस्तावना

टैक्स शब्द लैटिन भाषा टैक्सारे से लिया गया है जिसका अर्थ है अनुमान लगाना। एक कर स्वैच्छिक भुगतान या दान नहीं है, लेकिन एक लागू योगदान, विधायी के अनुसार वसूला गया प्राधिकरण और कोई योगदान है, सरकार के द्वारा लगाया गया कर के नाम टोल, श्रद्धांजलि, अधिभार, शुल्क, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सब्सिडी, सहायता, आपूर्ति, या अन्य नाम। कर नीतियां अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारत सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत कर है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कर राजस्व के दो मुख्य स्रोत हैं। जब प्रभाव और घटना एक ही व्यक्ति पर पड़ती है तो उसे प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। जब प्रभाव और घटना अलग–अलग व्यक्ति पर पड़ता है अर्थात जब बोझ दूसरे व्यक्ति पर डाला जा सकता है तो इसे अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। अप्रत्यक्ष कर प्रणाली वर्तमान में केंद्र द्वारा लगाए गए बहुस्तरीय करों में फंसी हुई है, आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न चरणों जैसे उत्पाद शुल्क, चुंगी, केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) और मूल्य वर्धित कर (वैट), सहित अन्य। पहला अप्रत्यक्ष कर सुधार भारत में तब हुआ जब संशोधित मूल्य वर्धित कर (MODVAT) लागू किया गया 1986 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क के स्थान पर चयनित वस्तुएं। अन्य सेवा कर की शुरूआत में सुधार 1994 में, 1999 में वैट लागू करने का निर्णय, जीएसटी पर संविधान संशोधन विधेयक की शुरूआत 2011 में। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सबसे ज्यादा और महत्वाकांक्षी कर सुधार योजना, जिसका उद्देश्य एक साझा बाजार को एकजुट करना है राज्यों के बीच राजकोषीय बाधाओं को दूर करना। यह भारत के सभी जगह पर लगाया जाने वाला एक एकल राष्ट्रीय समान वस्तुओं और सेवाओं पर कर है। जीएसटी में सभी अप्रत्यक्ष करों को एक में समाहित कर दिया जाएगा प्रशासन। जीएसटी कराधान कानून विभिन्न करों को समाप्त कर देगा जो विभिन्न पर लगाए जाते हैं उत्पाद, विनिर्माण के स्रोत से शुरू होकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचने तक। जीएसटी एक देश एक कर के मूल सिद्धांत पर काम करता है।

भारत में जीएसटी का विकास

भारत के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का विचार पहली बार सोलह साल पहले श्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में सामने आया था। इसके बाद, 28 फरवरी, 2006 को, तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री ने 2006–07 के अपने बजट में प्रस्तावित किया कि जीएसटी को 1 अप्रैल, 2010 से पेश किया जाएगा। राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति (ईसी), जिसने राज्य वैट का डिज़ाइन तैयार किया था, उससे जीएसटी के लिए एक रोडमैप और संरचना के साथ आने का अनुरोध किया गया था। जीएसटी के विभिन्न पहलुओं की जांच करने और विशेष रूप से छूट और सीमा, सेवाओं के कराधान और अंतर–राज्य आपूर्ति के कराधान पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए राज्यों के साथ–साथ केंद्र के प्रतिनिधियों वाले अधिकारियों के संयुक्त कार्य समूह स्थापित किए गए थे। अपने भीतर और केंद्र सरकार के बीच चर्चा के आधार पर, चुनाव आयोग ने नवंबर, 2009 में जीएसटी पर अपना पहला चर्चा पत्र (एफडीपी) जारी किया। एफडीपी ने प्रस्तावित जीएसटी की विशेषताएं बताईं और वर्तमान जीएसटी कानूनों और नियमों का आधार बनाया है।

मार्च 2011 में, संविधान (115वां संशोधन) विधेयक, 2011 लोकसभा में पेश किया गया था जीएसटी लागू करने के लिए। हालाँकि, राजनीतिक सहमति की कमी के कारण, अगस्त 2013 में 15वीं लोकसभा के भंग होने के बाद यह विधेयक निरस्त हो गया।

19 दिसंबर, 2014 को संविधान (122वां संशोधन) विधेयक 2014 लोकसभा में पेश किया गया और मई 2015 में लोकसभा द्वारा पारित किया गया। विधेयक को राज्य सभा में रखा गया था। विधेयक को राज्य सभा में रखा गया था और 14 मई, 2015 को इसे राज्य सभा और लोकसभा की संयुक्त समिति को भेजा गया था। प्रवर समिति ने 22 जुलाई, 2015 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 14 मई, 2015 को राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त समिति को भेजा गया। प्रवर समिति ने 22 जुलाई, 2015 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसके बाद, राजनीतिक सहमति के आधार पर 1 अगस्त 2016 को

संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश किया गया।यह विधेयक 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा द्वारा और 8 अगस्त 2016 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था।

आवश्यक संख्या में राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन और राष्ट्रपति की सहमति के बाद, संवैधानिक संशोधन को 8 सितंबर, 2016 को संविधान (101वां संशोधन) अधिनियम 2016 के रूप में अधिसूचित किया गया था। संवैधानिक संशोधन ने भारत में वस्तु और सेवा कर की शुरूआत का मार्ग प्रशस्त किया।

जीएसटी परिषद द्वारा केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2017 (सीजीएसटी विधेयक), एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2017 (आईजीएसटी विधेयक), केंद्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2017 (यूटीजीएसटी विधेयक), वस्तु एवं सेवा कर विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) विधेयक 2017 (मुआवजा विधेयक), ये विधेयक 29 मार्च, 2017 को लोकसभा द्वारा पारित किए गए थे। राज्यसभा ने इन विधेयकों को 6 अप्रैल, 2017 को पारित किया और फिर 12 अप्रैल को अधिनियम के रूप में अधिनियमित किया गया। 2017. टी 2015. 6 दिनांक 08.09. 2016।

इसके बाद, विभिन्न राज्यों के राज्य विधानमंडलों ने संबंधित राज्य वस्तु एवं सेवा कर विधेयक पारित कर दिए हैं। विभिन्न जीएसटी कानूनों के लागू होने के बाद, श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लॉन्च किया गया था। भारत की संसद के सेंट्रल हॉल में एक मध्य रात्रि समारोह में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी की उपस्थिति में भारत के माननीय प्रधान मंत्री थे।

भारत में कर प्रणाली

1. वर्तमान में स्थापित कर प्रणाली

भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतिस्पर्धी होना चाहिए। भारत को, अपने संसाधन उपयोग में अन्य नीतिगत उपायों के अलावा, कराधान नीतियों का पालन करना चाहिए जो इसकी आर्थिक क्षमता को बढ़ाकर विकृतियों को कम करेंगी।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाएँ : संसाधनों, विशेषज्ञता, पूंजी निर्माण आदि भारत की कर व्यवस्था परंपरागत रूप से सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क सहित अप्रत्यक्ष करों पर बहुत अधिक निर्भर रही है। 90 के दशक में सुधार के बाद अप्रत्यक्ष कर राजस्व का प्रमुख स्रोत था। मुख्य तर्क भारी निर्भरता के पक्ष में था कि प्रत्यक्ष करों का आधार बढ़ रहा था क्योंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या गरीब थी।

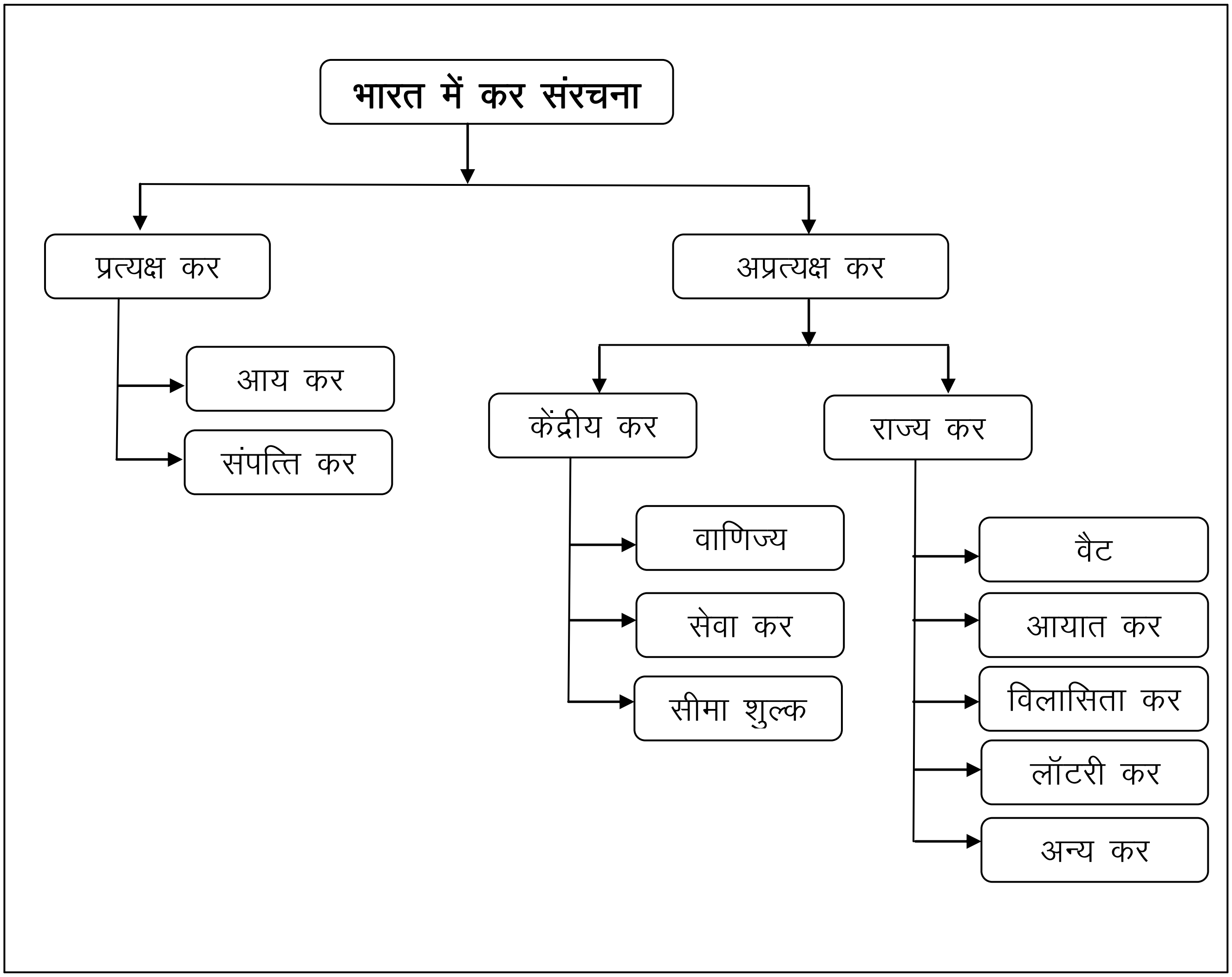
भारत में कर संरचना
प्रत्यक्ष कर
अप्रत्यक्ष कर
आय कर
संपत्ति कर
केंद्रीय कर
राज्य कर
वाणिज्य
सेवा कर
सीमा शुल्क
वैट
आयात कर
विलासिता कर
लॉटरी कर
अन्य कर

(स्रोतः लेखक द्वारा संकलित)

भारतीय अर्थव्यवस्था पर जीएसटी के लाभ

1. इससे वस्तुओं और सेवाओं की लागत कम करने में मदद मिलेगी।
2. कर दरों में एकरूपता होना।
3. इससे आर्थिक विकास में मदद मिलेगी।
4. यह उत्पादों और सेवाओं को प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करेगा।
5. यह व्यवसायों की तरलता में सुधार कर सकता है।
6. इससे मानवीय प्रयासों में कमी आएगी और त्वरित निर्णय लिए जा सकेंगे।
7. यह अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने, भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार करने में भी मदद करेगा।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर जीएसटी का प्रभाव

1. जीएसटी लागू होने से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ सकता है।
2. जीएसटी लागू होने से सरकार का राजस्व लंबे समय तक बढ़ेगा।
3. एक एकल कर उपभोक्ता के लिए अंतिम बिक्री मूल्य को कम करने में मदद करेगा।
4. जीएसटी से भारत में व्यापार करने में आसानी होगी।
5. इससे कर अनुपालन की लागत और लेनदेन लागत में कमी आएगी।
6. इससे रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे।
7. जीएसटी कर आधार को बढ़ाकर सरकारी राजस्व में वृद्धि करेगा।
8. कर कानूनों में एकरूपता से पूरे भारत में वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के लिए एकल बिंदु कराधान हो जाएगा।
9. इससे न्यायनिर्णयन और अपीलीय प्राधिकारियों के विभिन्न स्तरों पर निरर्थक कार्यवाहियों के कारण मुकदमेबाजी, न्यायपालिका और करदाता के समय की बर्बादी में भी कमी आएगी।

10. उत्पादकों पर कर का बोझ कम करने तथा यह दोहरा कराधान निर्माताओं को उनकी इष्टतम क्षमता तक उत्पादन करने से रोकता है और विकास को रोकता है।
11. सिस्टम में अधिक पारदर्शिता आएगी क्योंकि ग्राहकों को पता चल जाएगा कि उनसे कितना टैक्स लिया जा रहा है और किस आधार पर।
12. जीएसटी निर्यात पर सीमा शुल्क हटाने में भी मदद करेगा। लेनदेन की लागत कम होने से विदेशी बाजारों में हमारी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।

भारत में जीएसटी कर की श्रेणीयाँ

जीएसटी के तहत, वस्तुओं और सेवाओं पर निम्नलिखित दरों पर कर लगाया जाता है, जैसे 0%, 5%, 12%, 18% और 28% , किंतु कुछ वस्तुओं पर आज भी जीएसटी कर प्रणाली लागू नहीं वह है– शराब, पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस जैसी कुछ वस्तुओं को जीएसटी के तहत छूट दी गई है।

0 प्रतिशत

गेहूँ, चावल, अंडे, ताज़ी सब्जियाँ, मांस, मछली, सिन्दूर, बिंदी, टिकटें, न्यायिक कागजात, मुद्रित पुस्तकें, समाचार पत्र, चूड़ियाँ, हथकरघा, बच्चों की तस्वीरें, 1000 रुपये से कम के होटल और लॉज। ''दूध'' यह प्रांरभिक जीएसटी निती के तहत 0 प्रतिशत में था किंतु वर्तमान में यह 5 प्रतिशत जीएसटी कर प्रणाली में लागू हो गया है।

5 प्रतिशत

सभी प्रकार की मछली (मछली, झींगा और झींगा के बीज को छोड़कर) संसाधित, उपचारित, जमे हुए अवस्था में, अति उच्च तापमान वाला दूध, दूध और क्रीम जिसमें स्किम्ड मिल्क पाउडर भी शामिल है लेकिन गाढ़ा दूध छोड़कर, दही और अन्य किण्वित दूध और क्रीम, छेना या पनीर यूनिट कंटेनर में और ब्रांडेड, अंडे की जर्दी, ताजी या सूखी, ब्रांडेड यूनिट कंटेनर में प्राकृतिक शहद, सब्जियाँ जमी हुई या संरक्षित (लेकिन

उस अवस्था में तत्काल के लिए अनुपयुक्त उपभोग), ख्केसर, हल्दी, अन्य मसाले, ब्रांडेड।

12 प्रतिशत

सभी मांस को जमे हुए यूनिट कंटेनरों में रखा जाता है, नमकीन, सूखे, स्मोक्ड अवस्था, सभी मांस और समुद्री उत्पाद, तैयार या संरक्षित, मक्खन, घी, मक्खन तेल, पनीर, अध्याय 20 के तहत सभी सामान (सब्जियां, फल, मेवे या अन्य भागों की तैयारी), पौधे, जिनमें अचार, मुरब्बा, चटनी, जैम, जेली शामिल हैं), केच–अप और सॉस, सरसों सॉस, सूखे मेवे, स्टार्च, पशु वसा और तेल, फलों और सब्जियों का रस, भुनी हुई चिकोरी और कॉफ़ी के विकल्प, यीस्ट और तैयार बेकिंग पाउडर, नमकीन, भुजिया, मिक्सचर, चबेना, मुंगौड़ी सहित दालों से बनी बरी, सोया दूध पेय, फलों का गूदा या फलों का रस आधारित पेय, नारियल पानी (ब्रांड नाम के साथ यूनिट कंटेनर में), दूध युक्त पेय पदार्थ।

18 प्रतिशत

गाढ़ा दूध, माल्ट, भुना हुआ है या नहीं, परिष्कृत चीनी, चीनी के टुकड़े, चीनी मिष्ठान्न, शिशु के उपयोग के लिए अनाज, आटा, स्टार्च या दूध की सभी तैयारियाँ और खुदरा बिक्री, पास्ता, स्पेगेटी, मैकरोनी, नूडल्स, मकई के टुकड़े और अन्य अनाज के टुकड़े, वफ़ल और वेफर्स (चॉकलेट कोटिंग के अलावा), पेस्ट्री और केक, चाय या मेट के अर्क, सार और सांद्रण, सूप और शोरबा, आइसक्रीम और अन्य खाद्य बर्फ, तत्काल भोजन मिश्रण, शीतल पेय सांद्र, शरबत, पान, सुपारी, पैकेज्ड भोजन, पानी, शामिल है, एथिल अल्कोहल और अन्य स्पिरिट, सिरका और विकल्प, करी पेस्ट, मेयोनेज़ और सलाद ड्रेसिंग मिश्रित मसाले और मिश्रित मसाला।

28 प्रतिशत

गुड़, च्युइंग गम/बबल गम और सफेद चॉकलेट, कोकोआ मक्खन, वसा और तेल, कोको पाउडर, कोको चॉकलेट, माल्ट अर्क (शिशु के उपयोग और बेकर्स के मिश्रण और आटे के अलावा), चॉकलेट से लेपित या युक्त वफ़ल और वेफर्स, कॉफ़ी का अर्क, सार और सांद्रण, सरसों का आटा और उसकी चटनी, चीनी, लैक्टोज और ग्लूकोज

सिरप, भोजन को स्वादिष्ट बनाने वाली सामग्री, पैन के लिए चूरन, कस्टर्ड पाउडर, वातित जल जिसमें अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा पदार्थ मिला हो।

https://www.mofpi.gov.in/sites/default/files/product-wise_gst_rates.pdf

भारत में कर संग्रहण

भारत में बीते पांच वर्षो के कर संग्रहण का विवरण तालिका द्वारा किया जाता है जिसमें जीएसटी और गैर जीएसटी करों का विवरण किया गया है।

क्र.	वर्ष	जीएसटी (Cr.)	गैर–जीएसटी (Cr.)	कुल (Cr.)	वृद्धि (%)
1	2017–18	500	785.46	1285.46	–
2	2018–19	878.96	645.20	1524.16	18.57
3	2019–20	1011.24	584.63	1595.87	4.70
4	2020–21	994.76	742.90	1737.66	8.88
5	2021–22	1280.87	738.13	2019	16.19

स्त्रोत – https://meggst.gov.in/RevenueCollection.pdf

जीएसटी की चुनौतियाँ–

1 **मजबूत आईटी नेटवर्क** – सरकार ने पहले ही वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) को शामिल कर लिया है। इसे जीएसटी पोर्टल की संपूर्ण आईटी प्रणाली विकसित करनी है जो जीएसटी पंजीकरण, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, कर भुगतान आदि के लिए प्रौद्योगिकी सहायता सुनिश्चित करेगी।

2 **कर प्रशासन कर्मचारियों को व्यापक प्रशिक्षण** – चूंकि जीएसटी मौजूदा प्रणाली से काफी अलग है, इसलिए इसमें कानून प्रक्रिया के संबंध में कर प्रशासन कर्मचारियों को व्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

3 **जीएसटी की जटिलताओं को समझना आसान नहीं** – थोक व्यापारी को सीजीएसटी को केंद्र सरकार के खाते में और एसजीएसटी को राज्य सरकार के खाते में जमा

करना होगा। खरीदारों और विक्रेताओं के प्रत्येक डॉकेट को जीएसटी प्रणाली में उपयुक्त रूप से शामिल किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ पूरी श्रृंखला को मिले।

भारतीय अप्रत्यक्ष कराधान की गतिविधियाँ

जिसने आज तक की कराधान प्रणाली में सुधार किया भारत में जीएसटी कराधान प्रणाली की शुरूआत –

- 1974 एलके झा समिति की रिपोर्ट में वैट प्रणाली शुरू करने का सुझाव दिया गया।
- 1986 "MODVAT" नामक प्रतिबंधित वैट की शुरूआत।
- 1991 चेलैया समिति की रिपोर्ट में वैट/जीएसटी की सिफारिश की गई और सरकार द्वारा सिफारिशें स्वीकार की गईं।
- 1994 सेवा कर परिचय।
- 1999 राज्य वैट पर अधिकार प्राप्त समिति का गठन।
- 2000 समान फ़्लोर राज्य कर दरों का परिचय और राज्य द्वारा दिए गए कर–संबंधित प्रोत्साहनों को समाप्त करना सरकारें।
- 2003 हरियाणा में वैट प्रणाली लागू।
- 2004 सेनवैट की शुरूआत की दिशा में मजबूत प्रगति।
- 2005–06 भारत में 26 से अधिक राज्यों में वैट आधारित कराधान प्रणाली का कार्यान्वयन।
- 2007 जनवरी में श्री पी. शोम द्वारा पहला जीएसटी स्टफ़ी जारी किया गया; वित्त मंत्री के बजट भाषण में जीएसटी प्रस्तावना शामिल है, सीएसटी चरण संयुक्त कार्य समूह बनाया गया और रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसकी समाप्ति अप्रैल 2007 में शुरू होगी।

- 2008 चुनाव आयोग ने अप्रैल 2008 में कराधान प्रणाली की जीएसटी संरचना लागू की।
- 2009 कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित तिथि 1 अप्रैल, 2010।
- 2010 राजस्व विभाग ने जीएसटी चर्चा पत्र पर टिप्पणी की और वित्त मंत्री ने जीएसटी दर के संभावित सुझाव दिये है।
- 2011 जीएसटी के लिए संसद द्वारा निर्धारित रोडमैप तैयार करने के लिए टीम बनाई गई और जीएसटी के लिए 115वां संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश किया गया।
- 2012 सेवा कर के लिए नकारात्मक सूची व्यवस्था लागू की गई।
- 2013 संसदीय स्थायी समिति ने विधेयक पर अपनी रिपोर्ट सौंपी।
- 2014 115वां संशोधन विधेयक समाप्त हो गया और इसे 122वें संवैधानिक संशोधन विधेयक में फिर से पेश किया गया।

उद्देश्य

जीएसटी का प्राथमिक उद्देश्य ढेर सारे अप्रत्यक्ष करों को एक व्यापक कर से प्रतिस्थापित करके भारत को एक एकल बाजार में एकीकृत करना है। इसका उद्देश्य कर संरचना को सुव्यवस्थित करना, कर चोरी को कम करना और अनुपालन बढ़ाना है। तथा अन्य उद्देश्य निम्न है–

1. जीएसटी की अवधारणा को समझना
2. जीएसटी के लाभ और चुनौतियों को जानना
3. भारत में विभिन्न क्षेत्रों पर जीएसटी के प्रभाव का अध्ययन करना
4. भारतीय अर्थव्यवस्थ के विकास को गति देना।
5. कर संग्रहण प्रणाली को पारदर्शि एवं जवाबदेही बनाना।

परिकल्पना

1. भारतीय कर प्रणाली को आसान बनाना।
2. भारतीय कर संग्रहण में वृद्धि करना।
3. भारतीय कर प्रपात में कमी करना।
4. भारतीय अर्थव्यवस्था में एकीकृत बाजार की स्थापना करना।
5. भारतीय अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति का न्यूनतम प्रभाव पड़ना।

सीमाएँ

1. **कार्यान्वयन चुनौतियाँ** – जीएसटी में बदलाव के कारण कई कार्यान्वयन मुद्दों का सामना करना पड़ा है, जिसमें आईटी बुनियादी ढांचे की चुनौतियाँ और कुछ प्रावधानों में स्पष्टता की कमी शामिल है।

2. **अनुपालन बोझ** – छोटे व्यवसायों को बार–बार फाइलिंग और विस्तृत रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता के कारण जीएसटी की अनुपालन आवश्यकताएं बोझिल लग सकती हैं।

3. **दर संरचना जटिलता** – जीएसटी के तहत कई कर स्लैब भ्रम और जटिलता पैदा कर सकते हैं, जो संभावित रूप से सरलीकरण के लक्ष्य को कमजोर कर सकते हैं।

4. **लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) पर प्रभाव** – एसएमई बढ़ी हुई अनुपालन लागत से जूझ सकते हैं और उनके पास संक्रमण का प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हो सकते हैं।

5. **राजस्व में कमी** – कुछ राज्यों ने जीएसटी कार्यान्वयन के बाद राजस्व में कमी की सूचना दी है, जिसके लिए केंद्र सरकार से मुआवजे की आवश्यकता है।

6. **क्षेत्रीय असमानताएँ** – रियल एस्टेट और पेट्रोलियम उत्पाद जैसे कुछ क्षेत्र अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर हैं, जिससे कर सुधार अधूरा है।

समग्र प्रभाव

1. सकारात्मक प्रभाव

- कर संग्रह में दक्षता में वृद्धि।
- व्यापार करने में आसानी में सुधार।
- अंतरराज्यीय चौकियों को हटाने के कारण रसद और इन्वेंट्री लागत में कमी।
- बेहतर कर अनुपालन के साथ अर्थव्यवस्था का औपचारिककरण।

2. नकारात्मक प्रभाव

- परिवर्तन के कारण व्यवसाय संचालन में प्रारंभिक व्यवधान।
- छोटे व्यवसायों पर अनुपालन का बोझ बढ़ा।
- कर पुनर्गठन के कारण अल्पकालिक मुद्रास्फीति दबाव की संभावना।

क्रमांक	खर्च	जीएसटी से पहले	जीएसटी के बाद
1	खाना	12.5%	5%
2	मनोरंजन	30%	28%
3	परिवहन	15%	18%
4	घरेलू व्यक्तिगत देखभाल	28%	18%
5	मोबाइल फोन सेवाएँ	15%	18%

Source: http://www.gstindia.com

साहित्य की समीक्षा

शेत्तर राजेश्वरी एम (2018) – भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवा कर का प्रभाव, हमारे देश में व्यापक अप्रत्यक्ष करों को कम करने की दिशा में सबसे तार्किक उपाय जीएसटी है। अर्थव्यवस्था के हर हिस्से को, चाहे वह उद्योग, व्यवसाय, सरकारी विभाग या सर्विस सेक्टर हो, सभी को जीएसटी कर का सामना करना होगा। जीएसटी का

प्रभाव राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं को एकीकृत करके समग्र विकास को बढ़ावा देना है। इससे अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एकीकृत भारतीय बाजार बनाया जाएगा। जीएसटी एक नया कर नहीं है, लेकिन यह उन सभी करों को बदल देता है जो उत्पादन और बिक्री के पहले चरणों पर लगाए गए थे। अब एक कर में दो भाग हैं, राज्य और केंद्रीय भाग। जीएसटी एक देश, एक कर और एक बाजार के माध्यम से नया भारत बना रहा है। जीएसटी से राजस्व संकलन में सुधार होगा, क्योंकि यह करों के साथ–साथ अप्रत्यक्ष कर बाधाओं को दूर करके भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देगा, साथ ही समान कर दरों के माध्यम से राज्यों और देश को एकीकृत करेगा। ज्यादातर अर्थशास्त्रियों ने भारत की कर संरचना को प्रतिगामी अप्रत्यक्ष कर स्लैब की प्रतिक्रिया के रूप में देखा है, जो इस देश ने एकीकरण की दिशा में किया है। माना जाता है कि जीएसटी सभी क्षेत्रों में उत्पादक होगा और भारत का कर ढांचा 140 से अधिक देशों के बराबर होगा।

कुमार पी. शशी और कृष्णा ए. गोकुल (2023) – भारत में आर्थिक विकास पर जीएसटी का प्रभाव, कराधान अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है।यह अपेक्षा की जाती है कि एक अच्छी कर प्रणाली को आय वितरण को नियंत्रित करना चाहिए और साथ ही, यह कर राजस्व उत्पन्न करने का भी प्रयास करेगा जिससे सार्वजनिक सेवाओं और बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकारी व्यय को समर्थन मिलेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था पर जीएसटी सकारात्मक प्रभाव होगा। जीएसटी को काफी विवाद और विरोध का सामना करना पड़ा है इसके कार्यान्वयन की शर्तें. अंततः, जीएसटी बिल पारित हो गया है और लागू होने के लिए तैयार है। समय ही तय करेगा कि इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा या नकारात्मक। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार फर्मों और उपभोक्ता के पास कर की एक नई प्रणाली होगी जो एकल होगी स्तर और अधिक पारदर्शी होगी।

विश्व में जीएसटी कर प्रणाली

भारत में सन् 2017 को जीएसटी प्रणाली को अपनाया गया किंतु भारत में स्थापित कर दरों को अन्य देशों की कर प्रणाली की तुलना तालिका में दर्शाया गया है।

Table1: GST Rates Around The World

क्रमांक	देश	प्रतिशत
1	भारत	5-28%
2	फ्रांस	20%
3	न्यूजीलैंड	15%
4	आस्टेलिया	10%
5	कनाडा	13-15%
6	मलेशिया	6%
7	सिंगापुर	7%
8	यूनाइटेड किंगडम	20%
9	यूक्रेन	20%
10	वियतनाम	10%
11	थाईलैंड	7%
12	इंडोनेसिया	10%
13	जर्मनी	19%
14	डेनमार्क	25%

स्त्रोत : Central Board of Excise and Customs (2017)

निष्कर्ष

भारत में अप्रत्यक्ष कर सुधारों के क्षेत्र में जीएसटी एक अत्यंत उल्लेखनीय कदम होगा। अनेक कर समाप्त हो गए हैं और केवल एक ही कर रह गया है। जीएसटी से उद्योगों के लिए कराधान आसान हो जाएगा। वस्तुओं और सेवाओं पर कुल कर का बोझ कम होने से ग्राहकों को भी लाभ होगा। जीएसटी भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धी भी बनाएगा। जीएसटी को लागू करना आसान होगा, एक बार लागू होने के बाद, प्रस्तावित कराधान प्रणाली भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए निरंतर विकास के संदर्भ में बहुत बड़ी संभावनाएं रखती है। अंत में, जबकि जीएसटी ने भारतीय कर प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार लाया है, इसका पूरा लाभ समय के साथ महसूस किया जाएगा क्योंकि व्यवसाय और कर अधिकारी नई प्रणाली को अपनाएंगे और चल रहे मुद्दों का समाधान किया जाएगा।

संदर्भ ग्रंथ सूंची

1. बाला मधू (2018), भारत में जीएसटी और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव, One “day National Seminar (Sponsored By DHE) on GST impact on Indian economy” on February 2nd 2018 held at hindu Girls College, Jagadhari, India, : पृष्ठ संख्या–3
2. https://www.gst.gov.in/about/gst/history
3. https://www.mofpi.gov.in/sites/default/files/product-wise_gst_rates.pdf
4. नायर आंनद और सिंह इंदरपाल (2018), वस्तु एवं सेवा कर का व्यापक विश्लेषण (जीएसटी) भारत के संदर्भ में, Indian Journal of Finance : पृष्ठ संख्या–60
5. शेत्तर राजेश्वरी एम (2018), भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवा कर का प्रभाव, IOSR Journal of Business and Management, Vol-20 (12), DOI: 10.9790/487X-2012054549 : पृष्ठ क्रमांक–49
6. कुमार पी. शशी और कृष्णा ए. गोकुल (2020), भारत में आर्थिक विकास पर जीएसटी का प्रभाव, Journal of Interdisciplinary Cycle Research, Vol-8(4) : पृष्ठ क्रमांक–274 ।
7. कुमार राजेश (2018), भारतीय अर्थव्यवस्था पर जीएसटी का प्रभाव, Journal of Emerging Technologies and Innovative Research, Vol-5(4) : पृष्ठ क्रमांक–1012 ।
8. यादव प्रियंका और कुंमार मनोज (2019), भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर जीएसटी का प्रभाव, International Journal of Research and Analytical Reviews, Vol-6(1) : पृष्ठ क्रमांक–605